दो शब्द ..

JICA वित पोषित ''हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना'' के अन्तर्गत परियोजना के उदेश्यों को प्राप्त करने के लिए समुदायों द्वारा विभिन्न गतिविधियां की जा रही है। जब इतने बड़े स्तर पर लोगों के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन हो रहा है उस स्थिति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, एक प्रभावी तंत्र को लागू करना आवश्यक है। तदनुसार, सामाजिक ऑडिट की अवधारणा को परियोजना कार्यान्वयन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के तौर पर रखा गया है।

वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार निधि मार्गदर्शिका का उदेश्य फिल्ड स्टाफ यानि एफ.टी.यू. समन्वयक, जी.पी. मोबालाईज़र, वार्ड फैसिलिटेटर्स, फील्ड तकनीकी ईकाइयां (FTUs), ग्रम वन विकास समिति (VFDS) और जैव विविधता प्रबंधन उप–समितियों की सहायता करना और उन्हें सक्षम बनाना है ताकि सोशल ऑडिट के द्वारा परियोजना कार्यान्वयन के सभी पहलुओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। इस मार्गदर्शिका में ग्रमीण वन विकास समितियों एवं जैव विविधता समितियों द्वारा दिन–प्रतिदिन के कामकाज के लिए आवश्यक विभिन्न प्रारूपों को शामिल करने के प्रयास किए गए हैं तथा यह दस्तावेज (Reference document) के रूप में उपयोग करने में मदद करेगा।

हम आशा करते हैं कि यह मार्गदर्शिका डी.एम.यू., एफ.टी.यू. और सामुदायिक स्तर पर कार्यक्षेत्र के अधिकारियों, विशेष रूप से ग्रमीण वन विकास समितियों एवं जैव विविधता समितियों के लिए रेडी रैकनर (Ready Reckoner) के रूप में काम करेगा ताकि परियोजना के मुख्य उदेश्यों (यानि एक ओर वन क्षेत्रों में और आसपास रहने वाले परिवारों की निर्भरता को कम करने और दूसरी ओर उनकी सामाजिक–आर्थिक बेहतरी सुनिश्चित करने की दिशा में स्थायी आजीविका विकल्पों को बढ़ावा देना) को प्राप्त कर सकें।

मैं इस मार्गदर्शिका पुस्तिका को तैयार करने में श्रीमती मीरा शर्मा (परियोजना निदेशक–निगरानी एवं मूल्यांकन) के योगदान की सराहना करता हूं और वे सभी स्टाफ मैंबर्स भी प्रशंसा के पात्र है जिन्होंने इस मार्गदर्शिका पुस्तिका को तैयार करने में सहयोग किया है।

इस मार्गदर्शिका के संकलन के दौरान, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट (i.e. Minutes of discussion etc.) को संदर्भ पुस्तक के रूप में लिया गया है।

नागेश कुमार गुलेरिया, आई.एफ.एस
सी.ई.ओ. एवं मुख्य परियोजना निदेशक

विषय-सूची

वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं
सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार कोष

भूमिका
कोष का महत्व
कोष के स्त्रोत

लेखा तथा वार्षिक रिर्पोट

ग्राम वन विकास समितियों को सशक्त बनाना

भूमिका
कार्यान्वयन तथा सोशल ऑडिट की कार्य पद्वति
ग्राम विकास समिति की कार्यकारिणी के कर्तव्य
सोशल ऑडिट ग्रुप का गठन व कर्तव्य
परियोजना का कर्तव्य

अनुलग्नक–1: कार्य समापन रिर्पोट का प्रारूप कार्य समापन रिर्पोट

अनुलग्नक–2: समाजिक लेखा परीक्षा के प्रस्ताव का प्रारूप

अनुलग्नक–3: प्रवाह आरेख (फ्लो डायग्राम)

संक्षिप्त नाम (Abbrebiation)

Administrative approval	**प्रशासनिक स्वीकृति**
Financial allocation	वित्तीय आबंटन
Utilization Certificate	उपयोगिता प्रमाण पत्र
Transaction	लेन देन, व्यवहार
Quality	गुण विशेषता
Quantity	मात्रा
Expenditure Statement	खर्चे का विवरण
Estimate	प्राक्कलन
Issuance of Cheque	चैक का जारी करना

अन्य महत्वपूर्ण शब्द जिनका संक्षेप किया गया है:

FTU	Field Technical Unit (Range Office)
DMU	Divisional Management Unit
VFDS	Village Forest Development Society
SMS	Subject Matter Specialist
PMU	Project Management Unit
SAG	Social Audit Group
RTGS	Real Time Gross Settlement
FEMP	Forest Ecosystems Management Plan
CDLIP	Community Development & Livelihoods Improvement Plan

01 वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन एवं सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार कोष

भूमिका

वर्ष 2018 से हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों, 16 वन मण्डलों, 2 वन्य जीव मण्डलों तथा 5 वन्य प्राणी वन परिक्षेत्रों में कार्यरत है। यह परियोजना 2018 से 2028 तक 10 वर्ष के लिए जापान सरकार द्वारा वित पोषित परियोजना है। इसके अर्न्तगत आ रही पंचायतों के चुने हुए वार्डों की वनों से जुड़ी समस्याओं के समाधान, सामाजिक व आर्थिक उत्थान से सम्बन्धित समस्याओं कार्यों की एक सूक्ष्म योजना वी. एफ. डी एस. द्वारा बनाई जाती है जिसमें परियोजना के कर्मचारियों का सहयोग रहता है। वर्श 2020 से परियोजना के कार्यों का कार्यान्वयन आरम्भ हो गया है। सूक्ष्म योजना में वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन (एफ.ई.एम.पी.) और सामुदायिक विकास एंव आजीविका सुधार (सी. डी. एंड एल आई.) के कार्य सम्मिलित होते है। (एफ.ई.एम. पी.) में वन व वन संसाधंनों के प्रबन्धन की गतिविधियां भाामिल होती है ताकि लोगों की वन व वन क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं को निपटाया जा सके। तकनीकी सहयोग डी0 एम0 यू0, एस0 एम0 एस0 और एफ0 टी0 यू0 द्वारा प्रदान किया जाता है। सी. डी. एंड एल. आई. पी. में ऐसी गतिविधियां भाामिल होती है जो समुदाय की भलाई एंव परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढता प्रदान करती है। परियोजना के कार्य ग्रामीण वन विकास समितियों/जैव विविधता प्रबन्धन समितियों द्वारा किए जाने हैं और कुछ कार्य वन विभाग द्वारा किए जाने हैं। परियोजना के दौरान किए जाने वाले कार्यों हेतू ग्रामीण वन विकास समितियों/जैव विविधता प्रबन्धन समितियों को उनकी क्षमता बढाने के लिए प्रशिक्षणों व भ्रमणों का आयोजन किया जाना है। परियोजना के दौरान किए गए कार्यों तथा समाप्ति के पश्चात भी यह कार्य निरन्तर चलते रहें, इसके लिए वार्ड स्तर पर समितियों (वी. एफ. डी एस.) का गठन किया गया है। कार्यों की निरन्तरता तभी बन सकती है अगर परियोजना की मदद से किए गए कार्यों की ग्रामीण लोग देखभाल करें तथा विकास के कार्य करें। इसी उदेश्य से कि परियोजना के पश्चात भी मुरम्मत व देखभाल के कार्य के लिए ग्रामीणों के पास अपनी एक सांझी सम्पति हो, वार्ड स्तर पर किए गए कार्यो की देखभाल हेतू दो कोषों को आरम्भ किया जा रहा है। पहला कोष एफ.ई.एम. पी. की गतिविधियों तथा दूसरा कोष सी. डी. एंड एल. आई पी. की गतिविधियों के लिए प्रत्येक वी. एफ. डी एस. स्तर पर खोले गए हैं। परियोजना के प्रथम बैच की सभी ग्रामीण वन विकास समितियों के इन काशों में परियोजना द्वारा पी0 एफ0 एम0 मोड कार्यान्वयन हेतू बजट दिया गया है। परियोजना के कार्यों को समिति द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कोष परिसम्पतियों के रखरखाव हेतु इस्तेमाल किए जाने है। परियोजना द्वारा बनाई गई परिसम्पति की देखभाल/मुरम्मत के साथ साथ विकास कार्य हेतु भी इसे इस्तेमाल किया जाना है।

कोष का महत्व

एफ.ई.एम.पी. कोष तथा सी. डी. एंड एल. आई. पी. कोष इसलिए बनाए गये, ताकि लम्बे समय तक चलने वाली

पारिस्थितिकी विकास की गतिविधियों (उदाहरणार्थ गांव के समीप भू–संरक्षण कार्य, सामुहिक तौर पर उपयोग होने वाले जल संरक्षण कार्य, सामुहिक पौधारोपण इत्यादि) की देखभाल हो सके। हम यह समझते हैं कि गांव स्तर पर किये जा रहे विभिन्न कार्यों तथा गांव के विकास के लिए यह सामुहिक कोष का प्रयास मद्दगार सिद्ध होगा। इस कोष के विशेष उद्देश्य है:–

- गांव में परियोजना की मद्द से बनी सम्पति, परिसम्पति की मुरम्मत व देखभाल के लिए पैसा उपलब्ध हो।
- पारिस्थितिकी विकास कार्यों के लिए परियोजना के जाने के पश्चात् भी आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध हो।
- गांव स्तर पर ही आवश्यक कार्यों के लिए किसी व्यक्ति विशेष/समूह को उधार उपलब्ध करवाया जाए, बशर्ते यह कार्य पारिस्थितिकी से जुड़े हों।
- सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास की विभिन्न स्कीमों के लिए गांव स्तर पर आर्थिक मद्द उपलब्ध हो।
- गांव स्तर पर वन संस्थाओं (वी.एफ.डी.एस.) को सुदृढ़ करना तथा इस योग्य बनाना कि वे अपने वन एंव वन से जुड़ी समस्याओं का समाधान अपने स्तर पर कर सके।

कोष के स्त्रोत

- **सदस्यता फीस**

  ग्राम विकास समिति के आम सभा के सभी सदस्य परिवार एक बार दी जानी वाली दो सौ रूपये की सदस्यता फीस अदा करते हैं (अगर गांव में कोई बहुत गरीब है जो सदस्यता फीस नहीं दे सकता है उसको कैसे प्रक्रिया में शामिल किया जाए यह निर्णय ग्रामीण वन विकास समिति की आम सभा पर छोड़ दिया जाता है)

- **मासिक चन्दा**

  ग्रामीण वन विकास समिति की आम सभा के सभी सदस्य निर्धारित राशि कोष में हर माह जमा करेंगे। यह राशि कम से कम 20 रूपये होनी चाहिए। सभी सदस्य परिवारों द्वारा दिये जाने वाले मासिक चन्दे से यह समझा जा सकता है कि सभी सदस्यों की इक्टठे होकर कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी तथा सभी सदस्य सक्रिय सहयोग देंगे। साथ ही यह पैसा कैसे खर्च किया जाएगा इसकी उत्सुकता तथा जानकारी सभी चाहेंगे।

- **लाभार्थी समूह द्वारा कोष में रकम जमा करवाना**

  परियोजना की मद्द से किये गये कार्यों से अगर किसी जन समूह/अन्दराड़ को लाभ पंहुचाता है तो उस समूह को इस कोष में कुछ रकम अदा करनी होगी। उदाहरणार्थ– ज्यादा घास का उत्पादन, ज्यादा पतराह का एकत्रित करना बगैरा। लाभार्थी समूह द्वारा कितनी रकम कोष में डाली जाएगी इसका निर्णय ग्रमीण वन

विकास समिति की कार्यकारिणी, लोगों तथा लाभार्थी समूह को होने वाले फायदे और हानि अगर उन्हे हुई है जैसे खुली चराई पर पाबन्दी बगैरा से, को मध्य नजर रखकर करेगी।

- **आवश्यकता से अधिक उत्पादन को बेचने से प्राप्त राशि**

  गांव की आवश्यकता पूर्ण होने के अलावा जो घास/पतराह बचता है उसको बेच कर सम्बन्धित लाभार्थी समूह को एकत्रित हुई रकम का कुछ प्रतिशत इस कोष में डालना होगा। इसका निर्णय ग्रामीण वन विकास समिति की आम सभा के सभी सदस्य निर्धारित करेंगे।

- **जुर्माना**

  बनाये गये नियमों के उल्लघंन (उदाहरणार्थ खुली चराई पर रोक, बिना आज्ञा वृक्षों को काटना, सामुहिक सम्पति/परिसम्पति को खराब करना आदि) पर वी.एफ.डी.एस. व इसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जुर्माना इक्टठा करेगा तथा कोष में रकम जमा करवाएगा।

- **अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राशि**

  किसी द्वारा दिया गया दान, दूसरी संस्थाओं/परियोजना द्वारा दी गई प्रोत्साहन राशी, नए गांव के लोगों के साथ अपने अनुभवों को बांटने तथा वी.एफ.डी.एस. को ट्रेनिंग देने के लिए दी जाने वाली रकम इत्यादि को कोष में जमा करवाया जाएगा।

02

लेखा तथा वार्षिक रिर्पोट

ग्रामीण वन विकास समिति के खाते किसी स्थानीय बैंक की भााखा में वी.एफ.डी.एस. के नाम पर खोले जाएंगे। पहला कोष एफ.ई.एम. पी. की गतिविधियों तथा दूसरा कोष सी. डी. एंड एल. आई. पी. की गतिविधियों के लिए प्रत्येक वी. एफ. डी एस. स्तर पर खोले जाएंगे तथा वी.एफ.डी.एस. की ओर से प्रधान तथा खजांची एकत्रित रूप से इन खातों का संचालन करेगें। जितनी भी रकम खातों से निकलवाई जाएगी उसे ग्रामीण वन विकास समिति की आम सभा में पारित करवाना होगा। परियोजना से ग्रामीण वन विकास समिति की कार्यकारिणी (वी.एफ.डी.एस.) को लेखे–जोखे का हिसाब किताब रखने तथा अन्य जानकारी हेतू प्रशिक्षण दिया जाएगा।

पैसे का लेखा जोखा ढंग से रखना होगा क्योंकि इसका 'सोशल ऑडिट' भी होगा। वार्षिक आर्थिक रिर्पोट को जिसमें पैसे के आय व्यय का ब्यौरा रहेगा, कार्यकारिणी द्वारा ग्रामीण वन विकास समिति की आम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी एक नकल (कापी) कार्यकारिणी द्वारा हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना को सूचनार्थ तथा अभिलेखों के संग्रहण के लिए भेजी जाएगी। यही प्रलेख/अभिलेख कार्यकारिणी की प्रबंध सम्बन्धित क्षमता की जानकारी लेने में मद्दगार सिद्ध होगें।

टिप्पणी

अगर आवश्यक हुआ तो परियोजना के अवलोकन एवं मूल्यांकन प्रणाली द्वारा ग्रामीण वन विकास समिति स्तर से प्राप्त अनुभवों को मध्य नजर रखते हुए इन कोषों की कार्य प्रणाली में और सुधार लाया जाएगा।

वी.एफ.डी.एस.*(VFDS)*	विलेज फोरेस्ट डिवेल्पमेंट सोसाइटी
FEMP and CD&LIP Fund	फोरेस्ट इकोसिस्टम मनेजमेंट प्लान और कोम्यूनिटी डवेल्पमेंट एण्ड लाइवलीहुड इम्प्रुवमेंट प्लान फण्ड
वी.एफ.डी.एस. ई.सी. *(VFDS E.C.)*	विलेज फोरेस्ट डिवेल्पमेंट सोसाइटी एकजिक्यूटिव कमेटी

नोट

प्रत्येक वार्ड में एक ही वी.एफ.डी.एस. होनी चाहिए परन्तु वास्तविक भौगोलिक स्थिति को देखते हुए एक से अधिक वार्ड की वी.एफ.डी.एस भी बनाई जा सकती है । कोश में एकत्रित राशि का पूर्ण ब्यौरा रजिस्टर में होना चाहिए। खासतौर पर लोगों द्वारा छोटे–2 अन्दराड़ों के स्तर पर किये गये कार्यो का ब्यौरा तथा लोगों द्वारा दी गई सहभागिता तथा परियोजना द्वारा दी गई राशि का पूर्ण ब्यौरा होना चाहिए तथा वी.एफ.डी.एस द्वारा बनाये गए नियम में यह स्पष्ट होना चाहिए कि वी.एफ.डी.एस में जिस अन्दराड़ समूह की सहभागिता राशि अधिक होगी, उन्हे उसी की प्रतिशतता के आधार पर राशि, किए गए कार्यों की देखभाल के लिए दी जाएगी।

03 ग्राम वन विकास समितियों को सशक्त बनाना

भूमिका

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना (जाइका) वर्ष 2018–19 से 2027–28 तक रहेगी । प्रथम बैच में परियोजना के सहभागी तरीकों को विकसित किया गया है । ग्रामीण लोग वार्ड स्तर पर सूक्ष्म योजना बनाने के लिए एकत्रित हुए जिसके लिए उन्होंने ग्रामीण वन विकास समिति (वी.एफ.डी.एस) बनाई। सूक्ष्म योजना वी.एफ.डी.एस की मद्द से बनाई जाती है तथा यही विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन का आधार होती है।

ग्रामीण वन विकास समितियां (वी.एफ.डी.एस.) बनाने के पश्चात ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे संसाधन प्रबन्धन की जिम्मेवारी निभा सकें। परियोजना द्वारा निरन्तर सहूलियत प्रदान करने से अब कई वी.एफ.डी.एस आगे आने लगी हैं तथा जिम्मेवारियां सम्भालनें लगी हैं। ग्रामीण वन विकास समितियों की क्षमता और अधिक बढ़ाने तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध में अधिक सहभागिता लाने हेतू यह आवश्यक है कि समितियां वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन योजना तथा समुदायिक विकास और आजाविका सुधार योजना में उभरी सामूहिक गतिविधियों को स्वयं कार्यन्वित करें जिसके लिए वितीय प्रावधान परियोजना व अन्य संस्थाओं से हो। इन चुनी गतिविधियों के कार्यान्वयन, वितीय तथा मजदूरों के प्रबंध बगैरा की जिम्मेवारी वी.एफ.डी.एस पर रहेगी। आरम्भ से ही सभी वी.एफ.डी.एस. को वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन योजना तथा सामुदायिक विकास और आजाविका सुधार योजना की गतिविधियों के स्वयं कार्यान्वयन की जिम्मेवारी दी जाएगी। समुदायिक विकास और आजाविका सुधार योजना के लिए ग्रामीण वन विकास समिति को 500000 रूपये कार्यों के कार्यान्वयन हेतू दिए जाने हैं तथा वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन योजना के तहत पौधरोपण, भूमि कटाव तथा जल संरक्षण के कार्यों के लिए पी0एफ0एम0 मोड में धनराशी परियोजना द्वारा उपलब्ध करवायी जानी है ।

कार्यान्वयन तथा सोशल ऑडिट की कार्य पद्वति

वार्षिक योजना बनाते समय, ग्रामीण वन विकास समिति (वी.एफ.डी.एस.) उन गतिविधियों का चयन करेगी जिन्हें वे स्वयं कार्यन्वित करना चाहती है। यह गतिविधियां आम सभा में चुनी जाएंगी तथा वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन योजना तथा समुदायिक विकास और आजाविका सुधार योजना से ली जाएंगी, ग्रामीण वन विकास समिति स्वयं कार्य करने के बारे में रेजोलूशन एफ0टी0यू0 कार्यालय भेजेगी। एफ0टी0यू0 कार्यालय रेजोलूशन की छानबीन के बाद अगर आवश्यकता हुई तो एसटिमेट बनाएगा। कार्य का निर्वहन वी.एफ.डी.एस की कार्यकारिणी द्वारा किया जाएगा।

पी0एम0यू0, डी0एम0यू0 अधिकारी कार्यन्वयन के लिए वी.एफ.डी.एस. को निम्नलिखित तरीके से धन किस्तों में अदा करेंगें।

फंड फ्लो मैकेनिजम

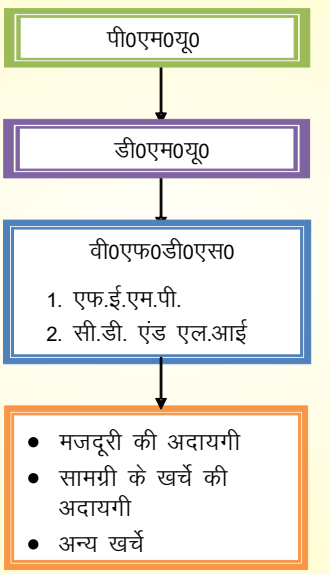

किस्तों का विवरण (कुल खर्च का)	
पहली (अग्रिम राशि)	दूसरी (अन्तिम राशि)
50 प्रतिशत	100 प्रतिशत

दूसरी (अन्तिम) किश्त का भुगतान तभी किया जाएगा जब ग्रमीण वन विकास समिति द्वारा हस्ताक्षरित कार्य समापन रिपोर्ट, आवेदन पत्र के साथ संलग्न करके एफ.टी.यू. के माध्यम से डी.एम.यू. को भेजी जाएगी।

सामग्री लेना, मजदूर लगवाना और अकॉउंट/रिकार्ड रखने आदि कार्य, वी.एफ.डी.एस. की कार्यकारिणी द्वारा किया जाएगा। किये गए कार्य को मापना तथा मेजरमैंट बुक में दर्ज करनें का कार्य ग्रामीण वन विकास समिति, परियोजना के तकनीकी स्टाफ की मदद से करेगी। बिल, ग्राम विकास समिति की कार्यकारिणी बनाएगी जो कि वर्क कम्पलीशन सर्टिफिकेट सहित एफ0टी0यू0 कार्यालय में जमा करवाए जाएंगे।

वी.एफ.डी.एस द्वारा कार्य को पहली किश्त मिलने के तीन महीने के अन्दर ही पूरा करना होगा। कार्य पूर्ण होने पर वी.एफ.डी.एस. पूरी रकम के इस्तेमाल का यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट, बिलों सहित सोशल ऑडिट के लिए वर्क कम्पलीशन रिपोर्ट तैयार करेगी। सोशल ओडिट ग्रामीण वन विकास समिति की आम सभा द्वारा किया जाएगा जिसमें कि कम से कम 50 प्रतिशत लाभार्थी समूह के सदस्य उपस्थित होने चाहिए। ग्रामीण वन विकास समिति की आम सभा में सोशल ऑडिट के पश्चात ग्रामीण वन विकास समिति की कार्यकारिणी को वर्क कम्पलीशन सर्टिफिकेट बिलों सहित एफ0टी0यू0 कार्यालय में आगामी रिकार्ड हेतू भेजने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

ग्राम विकास समिति की कार्यकारिणी के कर्तव्य

- कार्यकारिणी सोशल ओडिट ग्रुप बनाएगी।
- किसी एक सदस्य, जो कि अकांउट तथा रिकार्ड रखने में समर्थ हों को कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत करेगी।
- कार्यकारिणी दो व्यक्ति (प्रधान तथा सचिव) के माध्यम से ग्रामीण वन विकास समिति की ओर से बैंक के साथ लेन देन करेगी।
- परियोजना को किश्तों की अदायगी के लिए आवेदन करेगी।
- सोशल ओडिट की प्रक्रिया को आरम्भ तथा पूर्ण करेगी।
- कार्य की गुणवता तथा प्रक्रिया का अवलोकन करेगी।
- परियोजना तथा अन्य संस्थाओं के साथ तालमेल करेगी।
- ग्रामीण वन विकास समिति के सदस्यों को सहभागिता (श्रम दान,सामग्री) हेतू तैयार करेगी।
- उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूटिलाईजेशन सर्टिफिकेट) बनाएगी।

सोशल ऑडिट ग्रुप का गठन व कर्तव्य

ग्रामीण वन विकास समिति की आम सभा सोशल ऑडिट ग्रुप का गठन करेगी जिसमें एक महिला सदस्य सहित कुल तीन सदस्य होंगे। सोशल ऑडिट ग्रुप का कोई भी सदस्य किसी भी कार्य समिति में नहीं चुना जायेगा। सोशल ऑडिट ग्रुप की कार्य अवधि एक साल रहेगी या जब तक कि ग्रामीण वन विकास समिति (आम सभा) सदस्यों को बदलना नहीं चाहती।

सोशल ओडिट ग्रुप को कार्य के निरीक्षण, लेखे–जोखे के निरीक्षण तथा अगर आवश्यक हो तो सच्चाई जानने के लिए किसी भी ऐसे व्यक्ति जो कि कार्य से जुड़ा है, की स्टेटमैंट रिकार्ड करने की शक्ति है। सोशल ओडिट ग्रुप के सदस्यों को परियोजना तथा अन्य संस्थाओं के स्टाफ सहित सामूहिक निरीक्षण हेतू प्रयास करना होगा। इस ग्रुप के निम्न कार्य रहेंगे:–

- प्राकलन (एसटिमेट) के अनुसार कार्य की मात्रा, गुणवता को जगह पर जा कर व्यक्तिगत रूप से प्रमाणित करना।
- वी.एफ.डी.एस कार्यकारिणी द्वारा एकत्रित खर्चे का विवरण (Exp. Statement), समापन रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र (Utilization Certificate) को प्रमाणित करना।
- यह देखना कि कार्यन्वयन के दौरान गलतियां ठीक करने हेतू उठाये गए कदम पूर्ण हुए या नहीं।
- वी.एफ.डी.एस. द्वारा किये गये कार्य की गुणवता, सहभागिता एवम् प्रबन्धन रिपोर्ट तैयार करना तथा भविष्य में ध्यान देने योग्य सुझावों सहित इसे वी.एफ.डी.एस. कार्यकारिणी के समक्ष रखना।

परियोजना का कर्तव्य

परियोजना सिर्फ सहुलियत प्रदानकर्ता का कर्तव्य निभाएगी। परियोजना ग्रामीण वन विकास समिति को उन कार्यों को चुनने में मदद करेगी जिन्हें वे कार्यान्वित करना चाहते हैं। परियोजना का तकनीकी स्टाफ एसटिमेट्स बनाएगा तथा किए जाने वाले कार्य का पूर्ण ब्यौरा कार्यकारिणी को समझाएगा। इसके अलावा परियोजना, कार्य के निरन्तर कार्यान्वयन हेतू समय– समय पर कार्य स्थान पर जाकर तकनीकी जानकारी प्रदान करेगी।

कार्यकारिणी/सोशल ऑडिट ग्रुप को वितीय प्रबंध तथा रिकॉर्ड और ऑडिट की ट्रेनिंग दी जाएगी। परियोजना स्टाफ, कार्यकारिणी को कार्यों को मापने और कार्यों की क्वालिटी ठीक रखने में मदद करेगा। अगर कभी कहीं वाद–विवाद हो तो एफ0टी0यू0 निपटारा करेगा और अगर विवाद फिर भी हल न हो तो डी0एम0यू0 का निर्णय अन्तिम होगा।

अनुलग्नक-1

कार्य समापन रिर्पोट का प्रारूप कार्य समापन रिर्पोट

1. ग्रामीण वन विकास समिति का नाम .....
2. एफ0टी0यू0 कार्यालय .....
3. कार्य का विवरण .....
4. कुल अनुमानित लागत रू0 .....
5. कार्य आरम्भ करने की तिथि .....
6. कार्य समाप्त करने की तिथि .....

क0 स0	गतिविधियां	मूल लागत	कर	कुल लागत
1	मजदूर/मिस्त्री का खर्चा			
2	सामान का खर्चा			
3	अन्य			
कुल				

7. परियोजना से प्राप्त धनराशि का विवरणः–

किश्त	चैक.न./RTGS	दिनांक	राशि
प्रथम			
द्वितीय/अन्तिम			

8. लोगों की कुल भागीदारी का विवरणः–

क.सं	कार्य का नाम	कुल भागीदारी	पुरूष	महिला

ग्राम विकास व रख–रखाव कोष में जमा करवाने वाली राशि

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य प्राकलन के अनुसार संतोषजनक ढंग से पूर्ण किया गया है। पूरा हिसाब–किताब व सत्यापित बिल इत्यादि ग्रामीण वन विकास समिति की आम सभा में रखे जाए तथा इनका विस्तृत विवरण सभा को बताया गया है। सामाजिक लेखा परीक्षा के संदर्भ में प्रस्ताव पारित किया गया जिसकी प्रति साथ में संलग्न की गई है। पूरा हिसाब–किताब बिलों सहित एफ0टी0यू0 कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

दिनांकः
स्थानः

प्रधान
ग्रामीण वन विकास समिति
(मोहर सहित)

अनुलग्नक-2

समाजिक लेखा परीक्षा के प्रस्ताव का प्रारूप

आम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव

आज दिनांक ———————————— को आम सभा की बैठक हुई जिसमें आम सभा ग्रामीण वन विकास समिति द्वारा स्वयं करवाये गये कार्य ———————————— ————————————————————की सामाजिक लेखा परीक्षा की गई। उपस्थिति सदस्यों को किये गये कार्य व खर्चे का पूर्ण ब्यौरा दिया गया। आम सभा द्वारा किये गये कार्य की मात्रा व गुणवता पर संतोष प्रकट किया गया तथा किये गये खर्चे को स्वीकृत करते हुए अपनी सहमति जताई। अतः प्रस्ताव पारित कर किये गये कार्य व खर्चे की सामाजिक लेखा परीक्षा का अनुमोदन किया गया।

दिनांकः सचिव प्रधान

अनुलग्नक-3

प्रवाह आरेख (फ्लो डायग्राम)

स्टेप		जिम्मेवारी
1.	कार्यो की पहचान	ग्रामीण वन विकास समिति द्वारा
2.	प्राकलन तैयार करना	एफ0टी0यू0 कार्यालय का तकनीकी स्टाफ
3.	तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा वितीय आबंटन	डी0एम0यू0 / एफ0टी0यू0 अधिकारी
4.	एसटीमेटस तथा विधान के सम्पादन से सम्बन्धित पूर्ण विवरण, सोशल ऑडिट ग्रुप / कार्यकारिणी और कार्य समिति को समझाना।	एफ0टी0यू0 स्टाफ
5	पहली किश्त के लिए आवेदन	ग्रामीण वन विकास समिति
6.	वी.एफ.डी.एस. के नाम RTGS जारी करना	डी0एम0यू0
7.	कार्यान्वयन	वी.एफ.डी.एस कार्यकारिणी
8.	तकनीकी सहायता	एफ0टी0यू0 का तकनीकी स्टाफ
9.	खर्चे का विवरण / उपयोगिता प्रमाण पत्र सोशल ऑडिट को देना	वी.एफ.डी.एस. कार्यकारिणी
10.	दूसरी किश्त / अन्तिम किश्त	कार्यकारिणी (ग्रामीण वन विकास समिति)
6–9 तक सभी स्टेपस दोहराना		
11.	वर्क कम्पलीशन रिपोर्ट तैयार करना	वी.एफ.डी.एस
12.	सोशल ऑडिट ग्रुप का चयन करना	ग्रामीण वन विकास समिति (आम सभा)
13.	सोशल ऑडिट	ग्रामीण वन विकास समिति एवं चयनित सदस्य
14.	खर्चे का विवरण, उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्य समापन रिपोर्ट, कार्य गुणवता को प्रमाणित करना	सोशल ऑडिट ग्रुप (SAG)
15.	कार्य समापन प्रमाण पत्र (वर्क कम्पलीशन सर्टिफिकेट) बिलों सहित एफ0टी0यू0 कार्यालय में जमा करवाना	कार्यकारिणी ग्रामीण वन विकास समिति

नोट: